

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/166795/CHN/CHANDAULI/1157/DD

दिनांक: 25-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **RG INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR AAKASH BANSAL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **104-2 95 100-5 106-4 106-5 108MI 109-1 123-10, MAUZA-HARISHANKARPUR PARAGANA-RALHUPUR PDDU NAGAR, CHANDAULI** तहसील - **MUGHALSARAI** प्लॉट एरिया **8159.74 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **19000.33** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RG INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR AAKASH BANSAL	18	1	54.15 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **RG INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR AAKASH BANSAL** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **RG INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR AAKASH BANSAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन व्यवस्थाओं को नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के मानकों के अनुरूप स्थापित किया जायेगा। 2- निकास मार्ग सदैव अवरोध रहित रखना आवश्यक होगा। 3- अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखना आवश्यक होगा। 4- नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है। भवन का निर्माण प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार करने के बाद एवं सभी प्रस्तावित अग्निसुरक्षा मानकों को पूर्ण करके अग्निशमन पूर्णता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा / अग्निशमन पूर्णता प्रमाण पत्र के प्राप्त किये बिना, भवन में कोई आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधि चलाना पूर्ण प्रतिबंधित होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(उप निदेशक)



Digitally Signed By
(Vivek Kumar Sharma)

[3131C40B7F6C3D0288C915191F43E615B7C776D4]

25-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-07-2025
स्थान : VARANASI